कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 534(अ) कार्बनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 का प्रारूप भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा0का0नि0 48 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 2 फरवरी, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; और उक्त प्रारूप के नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त ॅनाम कार्बनिक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 है

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे;

(3) ये कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के अधीन अनुसूची में सम्मिलित सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का अधिनियम सं0 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाया गया साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ग) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(घ) "वार्षिक रिपोर्ट" से प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों द्वारा अनुज्ञप्त ऑपरेटरों, उत्पादों और प्रसंस्करणकर्ताओं के संबंध में कृषि विपणन सलाहकार को वार्षिक रूप से प्रस्तुत की गई कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ङ) "अपील" से वह कार्य या चुनौती का तथ्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण इन नियमों के अधीन कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी आदेश के पुनर्विचार के लिए अनुरोध कर सकता है ।

(च) "आवेदक" से ऐसा निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण अभिप्रेत है जिसने कृषि विपणन सलाहकार को प्राधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है ।

(छ) "प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी कर, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ज) "प्रमाणपत्र" से प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें यह घोषित किया गया हो कि अनुज्ञप्त आपरेटर क्रियाकलाप कर रहा है या यह कि कथित उत्पाद इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उत्पादित किया गया है;

(झ) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से इन नियमों के अधीन कृषि विपणन सलाहकार द्वारा कार्बनिक कृषि उत्पाद और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए और कार्बनिक कृषि उत्पाद का

श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण को प्राधिकृत करते हुए जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

( ) "प्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया जाता है कि स्पष्टतः चिह्नांकन उत्पादन या प्रसंस्करण प्रणाली का उचित ढंग से निर्धारण किया गया है और यह विदेश व्यापार निदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 72 (आर ई-2003)/2002-2007 तारीख 21 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है;

(ट) "प्रमाणन चिह्न" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिधान चिह्न अभिप्रेत है;

(ठ) "प्रमाणन प्रक्रिया" से समरूपता का प्रमाणन करने के लिए मानदंड के अनुसार प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा अपनाई गई प्रणाली अभिप्रेत है;

(ड) "प्रमाणित कार्बनिक कृषि उत्पाद" से ऐसी कृषि उपज अभिप्रेत है जिसका उत्पादन कार्बनिक कृषि के माध्यम से हुआ है और इन नियमों के अधीन प्रमाणित है;

(ढ) "संपरिवर्तन" से कृषि खेती को पारंपरिक से कार्बनिक खेती में परिवर्तन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ण) "अनुज्ञप्ति" से प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्त आपरेटर को दिया गया प्राधिकार है जो उसे इन नियमों के अधीन प्रमाणन का अधिकार अनुदत्त करता है ।

(त) "अनुज्ञप्त आपरेटर" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कार्बनिक खेती या कार्बनिक प्रसंस्करण में प्रैक्टिस करने वाले कारोबार उद्यम अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन प्राधिकृत निरीक्षण और प्रयोजन अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है ।

(थ) "राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय" से विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 72 (आर ई-2003)/2002-2007 तारीख 21 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर यथापुनरीक्षित कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अभिकरण अभिप्रेत है ।

(द) "कार्बनिक" से अधिसूचना संख्या 72 (आर ई-2003)/2002-2007 तारीख 21 जुलाई, 2004 द्वारा समय समय पर यथापुनरीक्षित विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बनिक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन यथाविहित विशिष्ट खेती प्रणाली अभिप्रेत है न कि रसायन विज्ञान में प्रयुक्त पद ।

(ध) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(न) "मानक" से इन नियमों के अधीन विहित कार्बनिक उत्पादों के लिए मानक अभिप्रेत है;

(प) "संव्यवहार/आयात प्रमाणपत्र" से प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा यह घोषित करते हुए जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है कि माल का विनिर्दिष्ट गड्डा या परेषण उस उत्पादन या प्रसंस्करण प्रणाली से लिया गया है जो उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

3. **श्रेणी अभिधान** - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, श्रेणी अभिधान "एगमार्क इंडिया कार्बनिक" लिखा या कहा जाएगा ।

4. **श्रेणी अभिधान चिह्न :-** श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकरण संख्या प्रमाणन सम्मिलित करते हुए एक डिजाइन, वस्तु और श्रेणी अभिधान का नाम (एगमार्क इंडिया कार्बनिक) अनुसूची में यथाउपवर्णित डिजाइन के सदृश एगमार्क इंडिया कार्बनिक का चिह्न होगा और जहां कहीं अपेक्षित हो उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी विनिर्दिष्ट वस्तु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अधीन यथाउपबंधित कोई अन्य श्रेणी अभिधान भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा ।

5. **गुणवत्ता** - श्रेणी अभिधान द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता का वर्णन इन नियमों के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 72 (आर ई-2003)/2002-2007 तारीख 21 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथापुनरीक्षित (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में यथावर्णित होगा और जहां कहीं उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी विनिर्दिष्ट वस्तु श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमों के अधीन यथाउपबंधित कोई अन्य श्रेणी अभिधान का भी चिन्हांकन किया गया है, यह ऐसे नियमों के अधीन विहित संबंद्ध श्रेणी की गुणवत्ता को भी उपदर्शित करेगा ।

6. पैकिंग की पद्धति –

(1) प्रमाणित कार्बनिक कृषि उपज की पैकिंग उक्त अधिसूचना में प्रकाशित कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और ऐसी पैकिंग, बोरियों, जूट थैलों, कपड़े के थैलों या अन्य उपयुक्त इको फ्रेंडली पैकेजों में किया जा सकता है जो स्वच्छ, ठोस कीटाणु, जीवाणु से मुक्त होगा और पैकिंग सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 के अधीन बनाए गए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अधीन यथाअनुज्ञात खाद्य श्रेणी गुणवत्ता की होगी ।

(2) उक्त अधिसूचना में प्रकाशित कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन केवल अनुमोदित यौगजों का उपयोग कार्बनिक खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग फिल्मस के विनिर्माण में किया जाएगा ।

(3) प्रयुक्त सामग्री उत्पाद के जैविक स्वरूप को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए या मात्रा में कोई तत्व इसे संप्रेषित न करे जो मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान देय हो ।

(4) अभिधान और पैकेजिंग सामग्री ऐसे पदार्थ से बनी होनी चाहिए जो उनके आशयित उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो । वह कोई विषैला पदार्थ या अवांछनीय दुर्गंध या उत्पाद के रंग को प्रभावित करने वाली न हो ।

(5) प्रमाणित कार्बनिक कृषि उपज को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आकारों मे पैक किया जाना चाहिए ।

(6) प्रत्येक पैकेज में उसी प्रकार और उसी श्रेणी अभिधान या मानक की प्रमाणित कार्बनिक कृषि उपज होनी चाहिए ।

(7) उसी गड्डा/बैच तथा श्रेणी के छोटे पैक आकारों के श्रेणीकृत सामग्री को श्रेणी अभिधान चिन्ह के साथ उस पर पूरे ब्यौरों के साथ मास्टर अभिधान में पैक किया जा सकता है ।

(8) प्रत्येक पैकेज को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा यथाअनुमोदित सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा और मुद्रांकित किया जाएगा ।

7. चिह्नांकन और लेबल लगाने का तरीका

(1) उपज के उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी पहचान योग्य होगा ।

(2) प्रमाणित एगमार्क इंडिया कार्बनिक उत्पाद के लिए अपनाए जाने वाले चिह्नांकन और लेबल लगाने का तरीका उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(3) श्रेणी अभिधान चिह्न कृषि विपणन सलाहकार या इन नियमों के अनुसार इस बाबत उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकेज पर सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा ।

(4) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अलावा प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और अमिट रूप से चिन्हित होगीं :-

(क) पैकर का नाम और पता
(ख) पैकिंग या विनिर्माण का स्थान
(ग) पैकिंग की तारीख
(घ) लाट या बैच संख्या
(ड.) श्रेणी
(च) फसल का मौसम
(छ) शुद्ध भार
(ज) अधिकतम खुदरा कीमत
(झ) .... मास .... वर्ष के पूर्व सर्वोत्तम

(5) पैकेजों पर चिह्नांकन करने के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो उपज को संदूषित न करे।

(6) अनुज्ञप्त आपरेटर संबद्ध प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के माध्यम से कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड चिन्हित कर सकेगा बशर्ते यह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर उपाबद्ध श्रेणी अभिधान चिह्न पर उपदर्शित के अलावा, गुणवत्ता उपदर्शित न करे ।

8. **प्रमाणित कार्बनिक कृषि उत्पाद -** प्रमाणित कार्बनिक कृषि उत्पाद उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के उपबंधों का पालन करने के अलावा भारी खनिज कीटनाशक, एफलाटाक्सिन का अवशिष्ट स्तर और खाद्य अपदूषण निवारण नियम, 1955 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा पैरामीटर का भी पालन करेगा ।

9. **प्रत्यायित निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों को प्राधिकार प्रमाणपत्र –** (1) उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन कोई प्रत्यायित निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रमाणपत्र की मांग के लिए विहित प्ररूप-1 इन नियमों में विनिर्दिष्ट और प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस के साथ कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत विपणन और निरीक्षण निदेशालय के अधिकारी को आवेदन फाइल कर इसके पुनर्नवीकरण करने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा । आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए –

(क) संगठन का लिखित प्रमाण, वित्तीय स्थिति (कुल कारोबार), वार्षिक रिपोर्ट तथा कर्मचारियों की संख्या उनके बायो-डाटा के साथ

(ख) प्रमाणीकरण समितियों, मानक समितियों, निरीक्षकों आदि का ब्यौरा

(ग) प्रचालन नियमावली और गुणवत्ता नियमावली की एक प्रति

(घ) प्रस्तावित टैरिफ

(ड.) किसी अन्य देश अथवा कार्यक्रम द्वारा प्रत्यायन का लिखित प्रमाण

(च) प्ररूप-2 में शपथपत्र

(छ) आवेदनों पर इस प्रयोजनार्थ समुचित रूप से प्राधिकृत संगठन प्रमुख, भागीदार, निदेशक, प्रबंध नियासी के हस्ताक्षर हों तथा यथास्थिति दस्तावेजी साक्ष्य/मुख्तारनामा/संकल्प की प्रति हो ।

2. प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण ऐसे प्रभार या शुल्क अदा करेगा जो निम्नलिखित के संबंध में उपगत व्यय के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं -

(क) प्राधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी और सावधिक पुनर्नवीकरण
(ख) प्राधिकार प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति का जारी किया जाना;
(ग) प्राधिकृत पैकर द्वारा नियोजित रसायनज्ञों का प्रशिक्षण;
(घ) नमूनों के परीक्षण और ऐसी वस्तुओं के निरीक्षण समेत श्रेणी अभिधान चिन्ह के साथ चिन्हित अनुसूचीगत वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण को प्रवृत्त करने के उपाय; और
(ड.) वस्तुओं के किसी वर्ग के विक्रय का संवर्धन करने के लिए कोई प्रचार कार्य

3. प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों को इन नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा जो अहस्तांतरणीय होगा ।

4. **प्राधिकार का पुनर्नवीकरण और अद्यतनीकरण –** प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों को प्राधिकार के पुनर्नवीकरण के लिए आरंभिक प्राधिकार प्रक्रिया के समान ही अद्यतनीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

(क) कृषि विपणन सलाहकार नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदत्त की जाने वाली विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर तीन वर्षों के समूह के लिए प्रमाणपत्र का पुनर्नवीकरण करेगा जो प्राधिकार प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पूर्व निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा फाइल किया जाएगा ।

(ख) फीस के साथ प्राधिकार के पुनर्नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकार अवधि की समाप्ति के तीस दिन पूर्व इस प्रयोजन के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास पहुंचने के लिए निरीक्षण और प्रमाण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ग) कृषि विपणन सलाहकार को इसके लिए दर्शाए गए युक्तियुक्त हेतुक की दशा में उक्त पुनर्नवीकरण आवेदन को प्रस्तुत करने में किसी विलंब को माफ करने की शक्ति होगी ।

(घ) प्राधिकार प्रमाणपत्र का पुनर्नवीकरण प्रत्यायित निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के पिछले कार्य निष्पादन पर आधारित होगा और कृषि विपणन सलाहकार को ऐसे आवेदनों को नामंजूर करने का अधिकार होगा ।

(ड.) पुनर्नवीकरण के आवेदन की नामंजूरी की दशा में कृषि विपणन सलाहकार ऐसी नामंजूरी के कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा ।

(च) नियम 14 के उपनियम (1) के अधीन गठित अपील समिति ऐसी किसी नामंजूरी के कारण फाइल की गई किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए अपीली प्राधिकारी होगी और अपील पर अपील समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और सभी संबद्ध पर आबद्धकर होगा ।

(छ) कृषि विपणन सलाहकार सभी अपीलों को प्राप्त करने और प्रक्रियागत करने और समुचित विनिश्चयों के लिए अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति – कृषि विपणन सलाहकार को समय-समय पर निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए प्रमाणन अभिकरणों को आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्तियां होंगी ।

(6) कृषि विपणन सलाहकार प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे –

- (क) प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्या
- (ख) निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण का नाम और पता
- (ग) किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रकृति
- (घ) जारी करने की तारीख और समाप्ति की तारीख

(7) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विहित कार्बनिक उत्पादन के मानक और विभिन्न अन्य प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत निरीक्षण, प्रमाणन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन, बाह्य निरीक्षण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, अनुज्ञप्ति की मंजूरी आदि की प्रक्रिया शामिल है, का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(8) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में और कार्बनिक कृषि उपज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगा ।

10. प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट :-

(1) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण आवर्त वित्तीय और कर्मचारिवृंद प्रमाणनाधीन प्रमाणित परियोजनाओं की संख्या, कृषि विपणन सलाहकार को गुणवत्ता और मूल्य के निबंधनानुसार निर्यातित उत्पाद सम्मिलित करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण की प्रक्रिया हाल ही के विकास पर नवीनतम रिपोर्ट जैसे प्रमाणित अनुज्ञप्ति आपरेटरों की संख्या, संपरिवर्तनाधीन प्रचालन का भौगोलिक क्षेत्र और कार्मिकों का परिवर्तन और अनुपालन रिपोर्ट जिसमें अधिरोपित शर्तों के साथ अनुपालन की रिपोर्ट दी गई हो **और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो और रिपोर्ट में मानकों के लागू होने के संबंध में अनुज्ञप्त आपरेटरों की उजागर अनियमितताओं या अतिलंघनों का वर्णन होना चाहिए ।**

(3) इस आधार पर कि क्या प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण में कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया गया है और प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण की प्रक्रिया में किए गए परिवर्तनों के विस्तार और प्रकृति के आधार पर कृषि विपणन सलाहकार निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्राधिकार अवधि का नवीकरण, यदि वह समाप्त हो गई है

(ख) सम्मत समय सारणी के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करते हुए नई शर्तों का अधिरोपण

(ग) नियम 12 में सूचीबद्ध किन्हीं अनुशास्तियों का अधिरोपण;

11. शिकायतें – (1) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के कार्य करने के संबंध में शिकायतें सर्वप्रथम प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण को की जानी चाहिए । केवल उन मामलों में जहां शिकायतकर्ता यह महसूस करता है कि प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा संतोषजनक रुप से निपटारा नहीं किया गया है वहां शिकायत कृषि विपणन सलाहकार को ऐसी रीति में की जाए कि ऐसी शिकायत के स्रोत की गोपनीयता बनाई रखी जाए ।

(2) कृषि विपणन सलाहकार ऐसी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन गठित राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय ऐसी किसी शिकायत के आधार पर प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कोई अनुशास्ति अधिरोपित कर सकता है । कृषि विपणन सलाहकार संबद्ध अभिकरण के प्राधिकार प्रमाणपत्र के संबंध में भी समुचित कार्रवाई करेगा ।

12. अनुशास्तियां – (1) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा अननुपालन या शर्तों को पूरा करने की असफलता की दशा में कृषि विपणन सलाहकार निम्नलिखित एक या अधिक अनुशास्तियां लागू कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) चेतावनी पत्र या धिग्दंड पत्र जारी किया जाना;

(ख) अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित करना और विहित समय सीमा के भीतर सुधार पर बल देना;

(ग) न केवल शर्तों के अननुपालन बल्कि विलंबित या दोषपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट फाइल के लिए शास्तियां अधिरोपित करना;

(घ) प्राधिकार निलंबित करना;

(ड.) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को मामला निर्दिष्ट करना और राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर संबद्ध अभिकरण के विरुद्ध आगे समुचित कार्रवाई करना ।

(2) निलंबन की दशा में, कृषि विपणन सलाहकार को अनुज्ञप्त आपरेटरों के हित के संरक्षण के लिए प्रमाणन कार्य को चालू रखने के लिए किसी अन्य प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण को नामनिर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी ।

13. प्राधिकार की समाप्ति – (1) कृषि विपणन सलाहकार निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण की प्राधिकार प्रास्थिति को समाप्त कर सकेगा यदि उक्त अभिकरण का कार्य निष्पादन और आचरण प्राधिकार मापदंड या प्राधिकार के लिए अधिकथित शर्तों के अनुसार नहीं है ।

(2) जब प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रत्याहृत किया जाता है तो कृषि विपणन सलाहकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय की वेबसाइट पर निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण का नाम प्रकाशित करेगा और सार्वजनिक सूचना जारी कर सकेगा ।

(3) प्राधिकार अवस्थिति को समाप्त किए जाने की शर्तों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है :

(क) निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्राधिकार मापदंड या कार्बनिक कृषि उपज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों का अननुपालन

(ख) प्राधिकार प्रास्थिति का दुरुपयोग

(ग) समय-समय पर फीस और प्रभार देने की असफलता

(घ) किन्हीं अधिरोपित अनुशास्तियों के पालन की असफलता

14. अपील – (1) आवेदक या प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अपील समिति के समक्ष यथास्थिति समाप्ति आदेश समेत प्राधिकृत विनिश्चयों या अधिरोपित अनुशास्तियों के विरुद्ध अपील कर सकता है जिसमें तीन प्रतिनिधि कृषि और सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग, प्रत्येक से एक-एक, तीन प्रतिनिधि होंगे जो भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर से कम के नहीं होंगे ।

(2) कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि अपील समिति का अध्यक्ष होगा ।

(3) अपीलें कृषि विपणन सलाहकार के विनिश्चयों अथवा आदेश के तीस दिनों के भीतर फाइल की जाएंगी ।

(4) अपील पर अपील समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और सभी संबद्ध पर आबद्धकर होगा ।

(5) अपील फाइल करने में विलंब को संबद्ध अपील प्राधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा युक्तियुक्त हेतुक दर्शाए जाने की दशा में माफ किया जा सकता है ।

15. **पारस्परिकता** – (1) इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा एगमार्क इंडिया कार्बनिक के रुप में प्रमाणित कृषि उत्पादों को देश के किसी भाग के भीतर अन्य प्रमाणन अभिकरणों द्वारा कार्बनिक के रुप में स्वीकार किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों द्वारा आयात करने वाले देशों के कार्बनिक मानकों के अधीन प्रमाणित कार्बनिक कृषि उत्पाद को भारत में आयात करने पर पुनः प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी यदि आयात द्विपक्षीय समतुल्य करार के अधीन किया गया है और कार्बनिक उत्पाद का प्रेषण इन नियमों के अधीन प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी संव्यवहार प्रमाणपत्र साथ में लगा हुआ है ।

16. **प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के कार्य** –(1) विपणन और निरीक्षण निदेशालय को अनुज्ञप्त आपरेटरों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा सूचित किया जाएगा ।

(2) विपणन और निरीक्षण निदेशालय निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरणों द्वारा उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के उपबंध के लागू होने के संबंध में अनियमितताएं या अतिलंघन पाता है तो वह उन नियमों के अधीन अतिरिक्त कार्रवाई करेगा ।

(3) इच्छुक प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन के पश्चात् कृषि विपणन सलाहकार मृदा के अवशिष्ट परीक्षण, कार्बनिक उत्पाद और कार्बनिक इनपुट के लिए उन्हें प्राधिकृत करेगा ।

(4) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विभिन्न मानदंडों का पालन करने के लिए परीक्षण के प्रयोजनों के लिए केवल अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करेगा ।

17. **प्रमाणन** – (1) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन प्रमाणन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे ।

(2) जहां ऐसा अतिलंघन जो कार्बनिक सम्पूर्णता को प्रभावित करता है, पाया जाता है वहां प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणन के उपदर्शन को उत्पादन माल की सम्पूर्ण ढेरी से हटा दिया गया है जो संबद्ध उल्लघंन द्वारा प्रभावित है और

जहां कोई उल्लघंन अनुज्ञप्त आपरेटर द्वारा किया जाता है वहां प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्त आपरेटर से प्रमाणपत्र वापस ले लेगा और अपने विनिश्चय की सूचना कृषि विपणन सलाहकार को देगा ।

18. प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा अनुशास्तियां – (1) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण की, समूह द्वारा या व्यक्तिगत अनुज्ञप्त प्रचालकों द्वारा अननुपालन की दशा में अनुशास्तियों की स्पष्ट नीति होगी ।

(2) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण समूह द्वारा या इसके व्यक्तिगत अनुज्ञप्त प्रचालकों द्वारा अननुपालन का पता चलने पर और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता पर समूह पर या व्यक्तिगत अनुज्ञप्त प्रचालकों पर अनुशास्तियां लगा सकेगा ।

(3) अनुशास्ति में सम्पूर्ण समूह के प्रमाणन के वापस लेने के उपबंध भी शामिल होंगे ।

19. प्रमाणन फीस –(1) प्रभार प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के प्रचालन लागत को शामिल करते हुए प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा तय किया जाएगा और प्रभार वार्षिक रुप से निम्नलिखित प्रवर्गों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-
(i) फसल उत्पादक समूह (लघु और सीमान्त कृषक)
(ii) सहकारिता और कुटीर उद्योग
(iii) बड़े किसान, संपदा और निर्यातक
(iv) मध्यम और बड़े आकार के उत्पादक

(2) फीस के तत्व में निम्नलिखित सम्मिलित होगा --
(i) आवेदन फीस
(ii) यात्रा और निरीक्षण
(iii) निर्धारण और रिपोर्ट तैयारी (दैनिक मजदूर की लागत)
(iv) प्रमाणपत्र का जारी किया जाना (स्कोप प्रमाणपत्र, उत्पाद प्रमाणपत्र और संव्यवहार प्रमाणपत्र)

(3) प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण उपरोक्त उपनियम (1) में विहित फीस के अलावा ऐसे प्रभार एकत्र करेगा और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के पास जमा करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपगत व्ययों पर समय-समय पर विहित किया जाए :-
(क) प्राधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी और सावधिक पुनर्नवीकरण;
(ख) प्राधिकार प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति का जारी किया जाना;
(ग) प्राधिकृत पैकर द्वारा नियोजित रसायनज्ञों का प्रशिक्षण;

(घ) नमूनों के परीक्षण और ऐसी वस्तुओं के निरीक्षण समेत श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ चिह्नित अनुसूचीगत वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण को प्रवृत्त करने के उपाय; और

(ड.) वस्तुओं के किसी वर्ग के विक्रय का संवर्धन करने के लिए कोई प्रचार कार्य

20. अनुज्ञप्त आपरेटरों और फसल उत्पादनकर्ता समूहों के दायित्व – (1)प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण को किए जाने वाले अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन, प्ररुप-3 में होगा जिसको प्रक्रियागत किया जाएगा और अनुज्ञप्ति उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम के उपबंधों के अनुसार मंजूर की जाएगी ।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा मंजूर की जाने वाली अनुज्ञप्ति प्ररुप-4 में होगी और अनुज्ञप्त आपरेटर द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा प्ररुप-5 में होगी ।

(3) अनुज्ञप्त आपरेटर और फसल उत्पादनकर्ता समूह इन नियमों के अधीन यथाउपबंधित प्रमाणन या श्रेणी अभिधान चिह्न के उपयोग के हकदार होंगे और ऐसे माल या सेवाओं के अपने उपयोग को निर्बंधित करेंगे जो उत्पादों के मानकों और विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा करेगा ।

(4) प्रमाणन चिह्न उत्पादों पर चिपकाया जा सकेगा या पैकेजिंग या प्रोत्साहन सामग्री या विज्ञापन क्रियाकलापों के संदर्भ में उपयोग किया जा सकेगा ।

(5) उपरोक्त चिह्न के प्रयोग के अधिकार को वापस लिए जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति को निरीक्षण तथा प्रमाणन अभिकरण को वापस लौटाया जाएगा ।

(6) श्रेणी अभिधान चिह्न के प्रयोग का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है और इससे कृषि विपणन सलाहकार या प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के विरुद्ध कोई क्षतिपूर्ति दावा उत्पन्न नहीं होगा ।

(7) अनुज्ञप्त आपरेटर और फसल उत्पादनकर्ता समूहों को उपरोक्त चिह्न का प्रयोग करने का अधिकार तो होगा परन्तु वे अपने उत्पादों की सुरक्षा हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

(8) अनुज्ञप्त प्रचालक प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण द्वारा मांगे जाने पर उनके संदर्भ में पर्याप्त उत्पाद उत्तरदेयता बीमा धारण करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा । तथापि, प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण या इस बाबत कृषि विपणन सलाहकार द्वारा कोई जिम्मेदारी स्वीकार्य नहीं होगी ।

(9) अनुज्ञप्त आपरेटरों के अनुरोध पर प्राधिकृत निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण के प्रमाणक द्वारा प्ररुप-6 में क्रेता को उत्पाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

अनुसूची

(नियम 4 देखें)

एगमार्क इंडिया कार्बनिक प्रतीक का डिजाइन

एगमार्क
सी.ए. नं0.

वस्तु का नाम ....

श्रेणी-- एगमार्क इंडिया कार्बनिक (इसमें अन्य श्रेणियां जोडें यदि कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के अधीन अधिसूचित विनिर्दिष्ट वस्तु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसार कोई हो)

प्ररुप-1
(नियम 9(1) देखें)
प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र

1.	संगठन/पता	:	दूरभाष नंबरः फैक्स नंबरः ई-मेल पताः
2.	सम्पर्क व्यक्ति	:	
3.	राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यायन वर्ष और प्रत्यायन वैधता की तारीख	:	
4.	प्रमाणन का प्रकार	:	
5.	संगठन तथा संरचना	:	कर्मचारियों की पाठ्यचर्चा (सी.वी.) सहित उनकी संख्या (कृपया संगठन चार्ट बनाइये)
6.	संगठन नीति	:	प्रमाणन समिति का विवरण तथा सदस्यों की पाठ्यचर्चा
7.	विगत तीन वर्षों का कार्य निष्पादन/टर्न ओवर	:	
8.	पृष्ठभूमि	:	

9. क्या आप निरीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं ?
10. कृपया अपनी रिकार्ड प्रणाली (उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं के बारे में) का वर्णन कीजिए ।
11. अपनी प्रमाणन पद्धतियों का वर्णन कीजिए ।
12. किस प्रयोगशाला में आपके नमूनों की जांच की जाती है ?
13. आप किन-किन उत्पादों को प्रमाणित करने का विचार रखते हैं अथवा प्रमाणित कर रहे हैं ?
14. कृपया विभिन्न सेवाओं हेतु अपनी टैरिफ संरचनाओं को नियम तथा शर्तों के साथ इंगित कीजिए ।
15. अनुलग्नकों की सूची (उपर्युक्त के संबंध में निर्धारित प्ररुप 2 में शपथ-पत्र सहित संगत दस्तावेजों की एक-एक प्रति संलग्न करें ।)

घोषणा

उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है ।

नाम/पदनाम :

तारीख/हस्ताक्षर :

प्ररुप -2
(नियम 9 (1)(च) देखें)

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं/हम .... पुत्र .... आयु................ वर्ष और निवासी .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं और कहता हूं/कहते हैं कि

1. कि मैं, भारतीय परियोजनाओं के जैविक उत्पादों का निरीक्षण और प्रमाणन करने के लिए मैसर्स .... नामक फर्म जो .... में स्थित है, का एकमात्र स्वामी/सहभागी/निदेशक हूं ।

2. मैसर्स .... अपने प्रमाणन प्रदर्शन और प्रमाणित कार्यों के सभी प्रलेखनों का मूल्यांकन, मूल्यांकन समिति द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक सम्पूर्ण सूचना प्रदान करेगा ।

3. मैसर्स .... मूल्यांकन समिति को मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग देगा ।

4. मैसर्स .... फील्ड मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेगा और सम्पूर्ण सूचना प्रदान करेगा ।

5. मैसर्स .... जैविक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियम, 2009 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार निरीक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन कार्य को पूरा करेगा । इसके अतिरिक्त मैसर्स .... अन्य ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकता है जो जैविक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियमों का उल्लंघन नहीं करती है ।

6. मैसर्स .... जैविक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियम, 2009 के नियम 19 के अनुसार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को श्रेणीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा और समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा यथा निर्धारित तरीके से, आवधिक विवरण भी प्रस्तुत करेगा ।

7. मैसर्स .... एगमार्क लेबलों, यदि कोई जारी किए गए हैं, एगमार्क प्रतिकृति लगे आधानों, सीलिंग प्लायर्स, इत्यादि और सरकारी देनदारियों की वसूली एवं समय पर उनके प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा ।

8. मैसर्स ....वस्तुओं के निरीक्षण, नमूना विश्लेषण, पैकिंग, चिह्नांकन और सीलिंग के लिए जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेगा ।

9. मैसर्स .... कृषि विपणन सलाहकार अथवा अन्य कोई विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी अनुसूचित वस्तु के संबंध में मांगी गई ऐसी सूचना, विवरण अथवा रिपोर्ट भी प्रदान करेगा जिसे प्राधिकारी कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझता है ।

10. मैसर्स .... प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें प्रमाणन प्रक्रिया में हाल में हुई गतिविधियां जैसे प्रमाणित लाइसेंस प्राप्त संचालकों (परिवर्तन के अधीन/परिवर्तित) की संख्या का कार्य भौगोलिक क्षेत्र, वित्तीय कुल बिक्री, कार्मिक परिवर्तन, मानकों के अनुप्रयोग के संबंध में लाइसेंसी संचालकों में पाई गई अनियमितताओं अथवा उल्लंघन संबंधित वर्ष में 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की मात्रा और कीमत तथा गंतव्य देश पर अद्यतन रिपोर्ट शामिल होगी ।

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

डीडी/एमएम/वाईवाई
मैसर्स .... के लिए

सत्यापन

मैं/हम ....सत्यनिष्ठापूर्वक सूचित एवं सत्यापित करता हूं /करते हैं कि उपर्युक्त शपथ-पत्र का विषय सत्य और सही है ।

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित

प्ररुप-3
(नियम 20(1) देखें)

जैविक कृषि उत्पाद प्रमाणीकरण एवं चिह्नांकन नियम .... के अंतर्गत प्रमाणीकरण चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन

मैं/हम .... शैली के अधीन .... पर अपना व्यवसाय संचालित करता हूं/करते हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित रुप से सूचीबद्ध ऐसे उत्पाद/प्रक्रिया के संदर्भ में Agmark India Organic लोगो प्रमाणीकरण के प्रयोग के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं, जो कि राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों के अनुरुप हैं :

क)** उत्पाद..
प्रकार...
आकार ....
ग्रेड ....
जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबद्ध प्रतिमान ।

ख) ** प्रक्रिया ....
जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबद्ध प्रतिमान ।

2. उपरोक्त उत्पाद का .... के द्वारा विनिर्माण किया गया । इस प्रक्रिया को .... (स्थान का नाम/पता) पर संचालित किया जाएगा ।

** एक आवदेन में (क), (ख) के अंतर्गत दोनों मदों में से किसी एक को ही लिया जा सकता है, दूसरे मद को काट दें ।

3(क) मेरी/हमारी फर्म के शीर्ष प्रबंधन की संरचना निम्नलिखित रुप में है :

क्रम संख्या	नाम	पदनाम

(ख) मैं/हम उपर्युक्त संरचना में कोई भी परिवर्तन किये जाने की स्थिति में यथाशीघ्र निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को सूचित करने की प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं ।

4. मैं/हम एतद्द्वारा फर्मों अथवा सोसाइटियों/कम्पनियों के रजिस्ट्रार/उद्योगों के निदेशक (लघु उद्योग एककों के संबंध में) के द्वारा अथवा अन्य समान प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए निगमन के प्रमाणीकरण की एक सत्यापित प्रति/फोटो कापी को संलग्न करता हूं/करते हैं जिसमें फर्म का नाम तथा उसके उत्पादन स्थल को अधिप्रमाणित किया गया है ।

5. मेरे/हमारे पास संलग्न सूची के अनुसार तथा जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों और पद्धतियों के अनुसार जांच व्यवस्थाएं मौजूद हैं ।

अथवा

जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों और पद्धतियों के अनुसार निम्नलिखित जांच व्यवस्थाओं का प्रबंध करना अभी शेष है :

प्रत्यायित/अनुमोदित प्रयोगशाला का विवरण
नाम कार्य

6. (क) हमारे द्वारा प्रयुक्त ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम निम्नलिखित है :
   (ख) मैं/हम निम्नलिखित ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम के साथ "Agmark India Organic" लोगो प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करना चाहता हूं/चाहते हैं :
   (ग) Agmark India Organic प्रमाणीकरण चिह्न के साथ प्रयुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित ट्रेड मार्कों/ब्रांड नामों की पंजीकरण संख्या तथा तिथि

अथवा

पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में, मैं/हम ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम के समर्थन में प्रचार/पैकिंग सामग्री आदि के रुप में प्रलेखी साक्ष्य को संलग्न करता हूं/करते हैं ।

7. मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त उत्पाद/प्रक्रिया के उत्पादन आंकड़े तथा उनके मूल्य और प्राक्कलन निम्नलिखित रुप से हैं :

वर्ष	उत्पादन	यूनिट	मूल्य रुपए में
पिछले वर्ष			
.... से			
.... तक			

चालू वर्ष
.... से
.... तक
(प्राक्कलन)

8. उक्त उत्पाद/प्रक्रिया की जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबद्ध प्रतिमानों तथा पद्धतियों के साथ अनुरुपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

(क) मैं/हम यहां पर संलग्न विवरणिका में वर्णित निरीक्षण तथा परीक्षण की योजना का प्रयोग करता हूं/करते हैं या करने का इरादा रखता हूं/रखते हैं/समस्त निरीक्षणों तथा परीक्षणों के रुटीन रिकार्डों को विवरणिका में निर्दिष्ट प्ररुप में रखा जाता है/जाएगा । मैं/हम आगे अपनी निरीक्षण तथा परीक्षण योजना को सुधारने, संशोधित अथवा परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं जिससे कि उसको आपके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्वरुप के अनुसार ढ़ाला जा सके ।

अथवा

(ख) मेरे/हमारे पास इस समय निरीक्षण तथा परीक्षण की कोई भी योजना प्रचालन में नहीं है । तथापि मैं/हम निरीक्षण तथा प्रमाणन एजेन्सी के द्वारा संस्तुत योजना को प्रचालन में लाने की प्रतिज्ञा करता हूं/ करते हैं ।

9. निरीक्षण प्रमाणन एजेन्सी द्वारा कोई भी प्रारंभिक जांच किये जाने की स्थिति में, मैं/हम अपने यहां पर उपलब्ध समस्त तर्कसंगत सुविधाओं को निरीक्षण प्रमाणीकरण एजेन्सी को उपलब्ध कराने को सहमत हूं/ हैं तथा मैं/हम उक्त जांच के समस्त व्ययों का भुगतान करने पर भी सहमत हूं/हैं जिसमें निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा यथा आवश्यकतानुसार परीक्षण शुल्क भी सम्मिलित है ।

मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि स्थल का प्रारंभिक निरीक्षण .... (तिथि इंगित करिये) तक कर लिया जाए ।

अथवा

आवेदन में दिए गए उत्पाद का उत्पादन शुरु किये जाने पर और जब मैं/हम नमूनों को एकत्र किये जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा/जाएंगे, तब मैं/हम प्रारंभिक निरीक्षण के संचालन हेतु उपयुक्त समय, तिथि आदि के बारे में यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा/देंगे ।

10. (क) प्रमाणित किया जाता है कि पहले जब मैंने/हमने आवेदन किया था तथा आवेदन संख्या .... थी, तो .... के कारण लाइसेंस नहीं मिल पाया था ।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे पास CMS/T सं. .... था जो कि

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की ओर से पत्र सं. .... दिनांकित .... के द्वारा, ... के कारण समाप्त/रद्द कर दिया गया था ।

(ग) मुझे/हमें अपने किसी भी ऐसे कार्य हेतु निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा चेतावनी/ परामर्श नहीं दिया गया था जो कि जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों का उल्लंघन करता हो ।

अथवा

जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों का उल्लंघन करने पर मुझे/हमें दी गई चेतावनी/ परामर्श के विवरण निम्नलिखित हैं :-

....

....

11. मैं/हम यह प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में उपरोक्त वर्णित किसी भी सूचना के गलत पाए जाने की स्थिति में, आवेदन को उसी समय अस्वीकृत कर दिया जाए ।

12. यदि लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है और जितनी अवधि तक वह प्रभावी रहता है, तो मैं/हम एतद्द्वारा लाइसेंस के सभी नियम एवं शर्तों तथा विहित विनियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं । लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द किए जाने की स्थिति में, मैं/हम यह भी प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं कि लाइसेंस में शामिल किसी भी उत्पाद पर प्रमाणीकरण चिह्न का प्रयोग करना तत्काल प्रभाव से रोक दूंगा/देंगे तथा समस्त संबद्ध विज्ञापन मामलों को वापस ले लूंगा/लेंगे और पूर्वोक्त विनियमों के प्रावधानों को पूरा करने हेतु तत्काल अन्य सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा/उठाएंगे । लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में, मैं/हम पूर्वोक्त विनियमों में अन्तर्विष्ट प्रत्येक प्रावधान का अनुपालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं ।

तारीख दिन

हस्ताक्षर

....

नाम ....

पदनाम

....

हेतु तथा की ओर से ....

....

(फर्म का नाम)

प्ररुप-4
(नियम 20(2) देखें)
“एगमार्क इंडिया ऑरगैनिक” अधिकार चिह्न के प्रयोग हेतु लाइसेंस

लाइसेंस सं0-

1. एगमार्क इंडिया ऑरगैनिक लोगो के प्रमाणीकरण चिह्न के संबंध में ऑरगैनिक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियमों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधिकार से निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी एतद्द्वारा .... को (जिसे आगे चलकर “लाइसेंसधारी आपरेटर” के नाम से जाना जाएगा) एगमार्क इंडिया ऑरगैनिक चिह्न का प्रयोग इन नियमों की प्रथम अनूसूची में यथा-निर्धारित वस्तुओं पर अथवा कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की अनुसूची में शामिल किसी भी प्रकार की कृषि उपज जो उपर्युक्त नियमों में निर्धारित जैविक उत्पादों हेतु मानकों से संबंधित प्रतिमानों और प्रक्रिया के अनुसरण में/अनुरुप उत्पादित हो, पर करने के लिए प्रदान किया जाता है और संबंधित एजेन्सी के विरुद्ध आगे उपयुक्त कार्रवाई महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-72 (आर.ई.-2003)/2002-2007, दिनांक 21 जुलाई, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम द्वारा, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर की जाएगी ।

2. इस लाइसेंस में उक्त उल्लिखित विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकार तथा उत्तर देयताएं निहित हैं ।

3. यह लाइसेंस .... से .... तक वैध रहेगा ।

4. यह लाइसेंस .... को इस शर्त के अध्यधीन प्रदान किया जाता है कि ....ऑरगैनिक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियमों में किए गए उपबंधों के अध्यधीन रहने के लिए तथा इसके लिए सहमत है कि संबंधित एजेन्सी के विरुद्ध आगे उपयुक्त कार्रवाई महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-72 (आर.ई.-2003)/2002-2007, दिनांक 21 जुलाई, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम द्वारा, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर की जाएगी ।

हस्ताक्षर

सील

प्राधिकृत निरीक्षण तथा
प्रमाणीकरण एजेन्सी हेतु

दिनांक

<u>प्ररुप -5</u>
(नियम 20(2) देखें)

घोषणा

सेवा में,
कृषि विपणन सलाहकार,
भारत सरकार

मैं/हम .... घोषणा करता हूं/करते हैं कि हमें एगमार्क इंडिया ऑरगैनिक अधिकार चिह्न का प्रयोग करने का लाइसेंस सं0-............... दिनांकित .... प्रदान किया गया है तथा हम ऑरगैनिक कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियमों के अन्तर्गत “एगमार्क इंडिया ऑरगैनिक” श्रेणी अभिधान चिह्न हेतु नियमों के अध्यधीन रहने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

हस्ताक्षरः

दिनांकितः

प्ररुप-6
(नियम 20(9) देखें)

एगमार्क इंडिया आर्गेनिक श्रेणीकरण उत्पाद प्रमाणपत्र

सं.

उत्पाद	:	
गुणवत्ता	:	
पैदावार	:	
उत्पत्ति	:	
पैकिंग यूनिट	:	
निवल भार	:	
बीजक सं.	:	
विक्रेता का नाम एवं पता	:	
क्रेता का नाम एवं पता	:	

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित उत्पादों को जैविक उत्पादन के उत्पादन तथा निरीक्षण और जैविक उत्पादन विधि के प्रचालन के नियमों के अनुसरण में प्राप्त किया गया है तथा जिसकी .... (प्रमाणकर्ता का नाम) के द्वारा निगरानी की गई ।

टिप्पणी :

तारीख	....	हस्ताक्षर
स्थान	....	मुहर
वैधता अवधि	....	

फा.सं.-18011/1/2007-एम-II

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव (विपणन)